

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 119/2010

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

1. मांगी पुत्री पारवती

2. रामप्यारी पुत्री पारवती

जाति माली निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा जिला दौसा

..अप्रार्थी



रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम-1956  
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

उपस्थित: 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.05.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा के आ0ख0नं0 690/1035 रकबा 0.04 है. जो कि भू प्रबंध से पूर्व खसरा नंबर 133/1 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन नहर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रेफरेंस हेतु निवेदन किया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं दोहराते हुए निवेदन किया कि:-

1. आराजी खसरा नंबर 690/1035 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम गढ हिम्मतसिंह तहसील महवा में स्थित है।
2. आराजी खसरा नंबर 690/1035 के भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व खसरा नंबर 133/1 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की किस्म जमाबंदी में गैर मुमकिन नहर ही अंकित थी।
3. गै0मु0 नहर भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा कराकर दिनांक 31.1.1985 को आवंटन करा लिया जिसका राजस्व रिकार्ड में जरिये नामा0 सं0 217 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की गई।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रश्नगत आराजी को पुनः गै0मु0नहर दर्ज किया जाना एवं रिकार्ड पटवार में अंकित सभी प्रविष्टियों को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल है।

अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। हम गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम गढ हिम्मतसिंह के हाल खसरा नंबर 690/1035 रकबा 0.04 है. किस्म गै0मु0नहर भूमि



जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरन्तर 2 पर



अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भूमि की किस्म भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व भी गै0मु0नहर दर्ज थी एवं वर्तमान में भी भूमि की किस्म गै0मु0 नहर ही अंकित है। गै0मु0 नहर भूमि की किस्म की भूमि आवंटन योग्य नहीं होती है। भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से करा लिया गया। भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गै.मु.तालाब, नदी, नाले व जलोढ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आवंटन आदेश व गैर खातेदारी अधिकार अवैध होने से प्रभाव शून्य है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटिशन 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि गै0मु0 नहर होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे। संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक: 07.08.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 मई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

